प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 08.10.2024

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा अवैध असलहो की सप्लायी करने वाला अभियुक्त अवैध एक पिस्टल .32 बोर, एक तमंचा .32 बोर, 03 तमंचा .315 बोर, 05 जिन्दा कारतूस .315 बोर सहित गिरफ्तार

घटना एवं कार्यवाही का विवरण- दिनांक 07.10.2024 की रात्रि पुलिस गश्त एवं वाहन तथा संदिग्ध व्यक्ति चेकिंग में सोलह मंजिला गोल चक्कर तिराहे के पास चौकी क्षेत्र मधुबन बापूधाम थाना मधुबन बापूधाम से एक व्यक्ति को अवैध पिस्टल, अवैध तमंचे एवं अवैध जिन्दा कारतूस के साथ थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त –

प्रतीक बालियान पुत्र अभिमन्यु बालियान निवासी बी-17 इन्द्रा एन्कलेव थाना कविनगर गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम करवाडा मुजफ्फरनगर उम्र 24 वर्ष

पूछताछ विवरण

अभियुक्त प्रतीक बालियान उपरोक्त से इतनी बडी मात्रा में तमन्चा रखने का कारण पूछा तो माफी माँगते हुये कहने लगा कि साहब मै बच्चो को ट्यूशन पढाने का काम करता हूँ।बच्चो को टयूशन पढाकर जो पैसा मिलता है उससे मेरे गुजारा सही नही चल रहा था। एक बार जब मै मेरठ गया था तो मुझे किसी नें कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए राजेश नामक व्यक्ति के बारे में बताया। जब मेरी राजेश से बेगम पुल पर मुलाकात हुई। तब राजेश में मुझे अधिक पैसै कमाने का यह तरीका बताया। तो मै राजेश से सस्ते दामो में लाकर जरूरत मन्दो को अधिक पैसे में डिमांड मिलने पर गा0बाद व एनसीआर क्षेत्र में सप्लाई कर देता हूं। मै इन असलहो को मेरठ से लेकर आया था। आगे डिमाण्ड मिलने पर सप्लाई कर देता।

बरामदगी का विवरण-

01 पिस्टल .32 बोर
01 तमंचा .32 बोर
03 तमंचा .315 बोर
05 जिन्दा कारतूस .315 बोर
01 पुलिन्दा पिट्ठू बैग

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा विशेष समुदाय के व्यक्तियों द्वारा नारेबाजी कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।
उपरोक्त प्रकरण में अभी तक कुल 12 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा सैंकडों अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जमा होकर डासना देवी मन्दिर के सामने विशेष समुदाय के ईष्ट पर टिप्पणी के विरोध स्वरूप को लेकर नारेबाजी व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई।

तत्पश्चात थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल ईनपुट व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 06 अभियुक्तों 1. समीर पुत्र नूर मोहम्मद नि0 वार्ड नं0 15, मोहल्ला जलाल खानी कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद 2. साजिद पुत्र अब्दुल रशीद नि0 वार्ड नं0 13, मिर्दो वाला मोहल्ला थाना वेव सिटी गाजियाबाद 3. आमिर पुत्र इस्लामुद्दीन नि0 वार्ड नं0 4, जामा मस्जिद कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद 4. शुऐब पुत्र साबुद्दीन नि0 वार्ड नं0 3, पुरानी पैठ कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद 5. फरमान उर्फ फर्रू पुत्र इलियास नि0 पुरानी पैठ कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद 6. शहजाद सैय्यद पुत्र अमरूद्दीन नि0 वार्ड नं0 13, देवी मंदिर रोड, बाबू कालोनी, कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद तथा दिनांक 07-10-2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल ईनपुट व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 04 अभियुक्तों 1. महबूब पुत्र रहमत ईलाही 2. जीसान पुत्र असलम निवासीगण पुरानी पैठ, डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद 3. माजिद पुत्र नन्हे खॉ 4. शुऐब पुत्र शकील निवासीगण मदीना मस्जिद के पास, उस्मान कॉलोनी, कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई।

आज दिनांक 08-10-2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल ईनपुट व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 02 अभियुक्तों 1.रियाज पुत्र नईम निवासी खारी कुंआ लुहारों वाली मस्जिद डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद, 2. रिजवान पुत्र अलीहसन निवासी मौहल्ला कुरैशियान कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त प्रकरण में अभी तक कुल 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारे ईष्ट पर दूसरे समुदाय के व्यक्तियों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी जिससे हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुँची थी जिसके कारण हम लोगों ने रोष में आकर इकट्ठा होकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया था। हम लोगों में उस दिन बहुत गुस्सा था तथा पुलिस द्वारा हमें समझाया व रोका गया परन्तु हम नहीं माने और फिर हम लोग वहाँ से भाग गये थे। बाद में हमे पता चला था कि हमारे खिलाफ मुकदमा लिख गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1.रियाज पुत्र नईम निवासी खारी कुंआ लुहारों वाली मस्जिद डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष

2. रिजवान पुत्र अलीहसन निवासी मौहल्ला कुरैशियान कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 02 जिंदा कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 07.10.2024 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्त 1. करोडी पुत्र श्योराज निवासी बाल्मीकि बस्ती जगतपुरी कस्बा व थाना मोदीनगर गाजियाबाद 2. सन्दीप पुत्र मदनपाल निवासी कस्बा धौलडी थाना जानी जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 02 जिंदा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगों पर रोब जमाने के लिये अपने पास अवैध तमंचा व कारतूस रखते हैं। चेकिंग के दौरान आपने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता-

1. करोडी पुत्र श्योराज निवासी बाल्मीकि बस्ती जगतपुरी कस्बा व थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 40 वर्ष।
2. सन्दीप पुत्र मदनपाल निवासी कस्बा धौलडी थाना जानी जनपद मेरठ, उम्र करीब 27 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना निवाडी पर आयुध अभिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध तमंचा व 02 जिंदा कारतूस एवं 01 मोटर साइकिल (सीज की गई) बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना निवाड़ी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध मिश्रित अतिशबाजी पटाखे निर्माण करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध मिश्रित अतिशबाजी पटाखे बरामद।

दिनांक 07.10.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्त 1. आसमोहम्मद पुत्र हफीज निवासी अमन गार्डन लोनी थाना लोनी गाजियाबाद हाल निवासी न्यू विकास नगर लोनी गाजियाबाद 2.शानू पुत्र हफीज निवासी अमन गार्डन लोनी थाना लोनी गाजियाबाद हाल निवासी न्यू

विकास नगर लोनी गाजियाबाद को चौकी क्षेत्र कस्बा से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से अवैध मिश्रित अतिशबाजी पटाखों के 03 प्लास्टिक के बोरे बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगों ने आगामी त्यौहारों के लिये पटाखों का निर्माण कर भण्डारण कर रखा था जिन्हें हम महंगे दामों में बेच कर अधिक लाभ कमा सके। आज हम इन पटाखों को बेचने जा रहे थे कि आपने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/ पता-

1. आसमोहम्मद पुत्र हफीज निवासी अमन गार्डन लोनी थाना लोनी गाजियाबाद हाल निवासी न्यू विकास नगर लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब वर्ष 35।

2. शानू पुत्र हफीज निवासी अमन गार्डन लोनी थाना लोनी गाजियाबाद हाल निवासी न्यू विकास नगर लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

अवैध मिश्रित अतिशबाजी पटाखों के 03 प्लास्टिक के बोरे बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नियत से फायर करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचा 315 बोर 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर, एक देशी पिस्टल .32 बोर बरामद।

दिनांक 07.10.2024 को वादी साकिर निवासी अमन कालोनी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ने थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी कि सलमान, नली उर्फ नदीम व दो अज्ञात व्यक्ति के साथ आकर सलमान ने जाकिर के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जिससे वादी का भाई बाल बाल बचा। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली नगर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही का विवरण:- घटना का अनावरण हेतु टीमो का गठन किया गया। सभी टीमो द्वारा अथक प्रयास मैनुअल इन्टेलीजेन्स, लोकल इनपुट की मदद से जान से मारने की नियत से फायर करने वाले दो अभियुक्त सलमान व उसका भाई सलीम को साई उपवन अन्डर पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त सलमान के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक देशी पिस्टल .32 बोर व अभियुक्त सलीम के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगण सलमान ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 06.10.24 को मै व मेरा भाई सलीम व अन्य व्यक्ति नली उर्फ नदीम के मकान पर थे मैने जाकिर के ऊपर जान से मारने की नियत से तमंचा से गोली चला दी थी। जिससे बह बाल बाल बच गया।

नाम पता अभियुक्त

1- सलमान पुत्र अवरार निवासी म0न0- 2030 मोती मस्जिद के पास कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष
2- सलीम पुत्र अवरार निवासी म0न0- 2030 मोती मस्जिद के पास कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष

आपराधिक इतिहासअभियुक्त सलमान- कमिश्नरेट गाजियाबाद मे 02 अभियोग जानलेवा हमला करना, 02 अभियोग अवैध शस्त्र (तमंचा) कुल 04 अभियोग पंजीकृत।

आपराधिक इतिहासअभियुक्त सलीमः कमिश्नरेट गाजियाबाद मे 01 अभियोग जानलेवा हमला करना, 01 अभियोग अवैध शस्त्र (तमंचा) कुल 02 अभियोग पंजीकृत।

बरामदगी

1- 01 देशी पिस्टल .32 बोर
2- 02 तमंचा 315 बोर
3- 01 खोखा कारतूस 315 बोर
4- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा दो अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी व चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 07/08.10.2024 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 02 अभियुक्त 1. समीर पुत्र कलाम निवासी मुर्गा मंडी थापर गेट थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष व 2. योगेश उर्फ योगेन्द्र उर्फ मयंक उर्फ काला पुत्र धर्मपाल नि0 गली नं0 16 हर्ष विहार द्वितीय गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को कोयल एनक्लेव के पास से टीलामोड़ से चोरी की 01 स्कूटी व चोरी के 02 मोबाइल फोन

सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त समीर पुत्र कलाम व योगेश उर्फ योगेन्द्र उर्फ मयंक उर्फ काला उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

गिरफ्तार अभियुक्त समीर पुत्र कलाम व योगेश उर्फ योगेन्द्र उर्फ मयंक उर्फ काला उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों अपने शौक व परिवार की जरुरतों को पूरा करने लिये चोरी की घटना कारित करते है तथा चोरी के मोबाइल फोन व अन्य सामान को सस्ते दामों पर बेचकर पैसा बराबर हिस्से में बांट लेते हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता</u>

1. समीर पुत्र कलाम निवासी मुर्गा मंडी थापर गेट थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
2. योगेश उर्फ योगेन्द्र उर्फ मयंक उर्फ काला पुत्र धर्मपाल नि0 गली नं0 16 हर्ष विहार द्वितीय गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास</u>

1. गिरफ्तार अभियुक्त समीर पुत्र कलाम उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग व थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर में चोरी के माल की बरामदगी व आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं।
2. गिरफ्तार अभियुक्त योगेश उर्फ योगेन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियोग व गलत तरीके से सम्पति अर्जित करने सम्बन्धी 01 अभियोग, थाना साहिबाबाद पर आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियोग, थाना लोनी पर चोरी का माल बरामद होने व गलत तरीके से सम्पति अर्जित करने सम्बन्धी 01 अभियोग, थाना सीमापुरी दिल्ली पर चोरी सम्बन्धी 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 05 अभियोग पंजीकृत हैं।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- चोरी की 01 स्कूटी व चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा जिला बदर अपराधी गिरफ्तार।

आज दिनांक 08.10.2024 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जिला बदर अपराधी आर्यन पुत्र जगवीर सिहं निवासी ग्राम अमराला थाना भोजपुर गाजियाबाद को ग्राम अमराला थाना भोजपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त को दिनांक 29.04.2024 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के क्रम में 06 माह की अवधि के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर जिला बदर किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता –

आर्यन पुत्र जगवीर सिहं निवासी ग्राम अमराला थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।

अपराधिक इतिहास /पंजीकृत अभियोग –

थाना मोदीनगर पर अभियुक्त के विरुद्ध मारपीट ,गाली गलौच, जान मारने की धमकी, हत्या का प्रयास, छेडखानी व आयुध अधिनियम से संबंधित 06 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना भोजपुर पर धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06.10.2024 को थाना वेव सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की बहन के पति व उसके परिवारीजन द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में फॉरच्युनर कार की मांग करना तथा मांग पूरी ना होने पर उसकी बहन की हत्या कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना वेव सिटी पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 08.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल ईनपुट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शशांक यादव पुत्र जयवीर सिंह यादव निवासी राधा कृष्णा पब्लिक स्कूल वाली गली, लालकुआँ पुलिस चौकी के पास, कृष्णा विहार कालोनी, थाना वेव सिटी गाजियाबाद को दिल्ली पुलिस कालोनी के पास ग्राउण्ड से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरा एक स्कूल है और मैं स्कूल का मैनेजमेन्ट देखता हूँ। मेरी शादी दिनाँक 16.02.2023 को हुई थी। मुझे स्कूल में कुछ रूपये की जरूरत थी तो मैंने अपनी पत्नी से कुछ रूपये अरेन्ज करने के लिए बोला था इसी बात को लेकर वो दहेज की मांग की कहने लगी और वो नाराज थी जिसके कारण दिनांक 06.10.2024 को मेरी पत्नी ने फांसी लगा ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

शशांक यादव पुत्र जयवीर सिंह यादव निवासी राधा कृष्णा पब्लिक स्कूल वाली गली, लालकुँआ पुलिस चौकी के पास, कृष्णा विहार कालोनी, थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा ए0सी0 आउटडोर चोरी करने वाला 01 अभियुक्त चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार

घटना का विवरण-

दिनांक 28.08.2024 को वादी श्री प्रतीक शंकर शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैक संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा एक लिखित तहरीर कि दिनांक 22.08.2024 को शाखा के एयर-कंडीशनर कार्य न करने के कारण जब AC की मरम्मत हेतु बैक के प्राधिकरण रिपेयरमैन आए तो ज्ञात हुआ कि AC के एक आउटडोर यूनिट को किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया है । के सम्बन्ध में प्राप्त हुई । तत्काल थाना मधुबन बापूधाम पर उचित धाराओ में मुकदमा पंजीकृत किया गया । तथा घटना के अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया।

कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 08.10.2024 को लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना पर दौराने पुलिस चेकिंग रईसपुर तिराहे के पास से दिनांक 22.08.24 को पंजाब नेशनल बैंक संजयनगर गाजियाबाद से चोरी करने वाले अभियुक्त को चोरी गये माल के साथ गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता अभियुक्त

अशोक उर्फ टिक्की पुत्र दर्गा प्रसाद निवासी ग्राम तितरा खलीलपुर पोस्ट नदी थाना कौंच जिला जालौन हाल मुकेश के मकान मे किरायेदार ग्राम रहीसपुर उम्र 26 वर्ष।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1.अभियुक्त अशोक उर्फ टिक्की उपरोक्त पर 01 मुकदमा ए0सी0 आऊटडोर वोल्टाज चोरी का तथा 01 मुकदमा ए0सी0 आऊटडोर वोल्टाज की बरामदगी का कुल 02 मुकदमे दर्ज है ।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त अशोक उर्फ टिक्की उपरोक्त नें पूछने पर बताया कि साहब मै नशे का आदि हूँ तथा अपने रिहायसी शौक पूरा करने के लिए अगस्त के आखिरी मे एक आऊटर मैने अपने साथी रोशन लाल पुत्र घनश्याम निवासी अज्ञात की मदद से पी0एन0बी0 बैंक मे लगे ए0सी0 से चोरी किया था उसके बाद यह हमने कबाडी को बेचने का प्रयास किया लेकिन किसी भी कबाडी ने नही खरीदा तो उसको हमने पास मे चेरी के सुखे बन्डलो की आड मे छुपा दिया था।

बरामदगी

1. 01 ए0सी0 आऊटडोर वोल्टाज

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम